न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद /2021 (2021/)

1. गोपाल पुत्र महावीर
2. जगदीश पुत्र सत्यनारायण
3. दशरथ पुत्र कैलाश
4. सुरेश पुत्र कैलाश
5. जगदीश पुत्र पहलाद
6. रमेश पुत्र श्रीकिशन
7. ओमप्रकाश पुत्र श्री किशन
8. राधेश्याम पुत्र राधाकिशन

समस्त जाति ब्राम्हण निवासीगण ग्राम भीमडावास तहसील केकडी जिला अजमेर

-----प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. कैलाश पुत्र भागीरथ जाति रेगर निवासी केकडी हाल भीमडावास तहसील केकडी जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

--- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज.काश्तकारी अधिनियम

-:: आदेश ::-

दिनांक 27.12.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भीमडावास के खाता स. 98-380,281-240,100-85,279-236 में दर्ज खसरान वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। तथा खाता स. नया-पुराना 443-357 श्री मन्दिर मूर्ति रघुनाथ जी महाराज के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। जिसके पुजारी भी वादीगण है तथा मन्दिर के नाम दर्ज आराजी को वादीगण ही काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वादग्रस्त आराजी मे आने-जाने हेतु एक मात्र कदीमी रास्ता ख.न. 2769/1290 रकबा 0.16 है. किस्म गै.मु. रास्ता से होकर ही है। अन्य कोई रास्ता उक्त आराजीयात में आने-जाने का नहीं है। वादीगण उक्त कदीमी रास्ते का ही उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। रास्ते की भूमि सेप्रतिवादी स. 1 का किसी प्रकार से कोई वास्ता सरोकार व हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादी स. 1 की नियत बद है। तथा प्रतिवादी स. 1 ने वाद वर्णित आराजी पर आने-जाने का एक मात्र रास्ता ख.न. 2769/1290 में बने आने-जाने के रास्ते पर जबरन कब्जा कर रास्ता अवरूद्व कर दिया है। तथा वादीगण को उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करने मे बाधा उत्पन्न कर रहा है। एंव ऐलानियां धमकी दे रहा है। प्रतिवादी स. 1 ने दिनांक 30.7.2021 को नाजायज व अनाधिकृत तरिके से नियम एंव कानूनो के विरूद्व जाकर वादीगण के कदीमी रास्ते को अवरूद्व कर दिया रास्ता अवरूद्व होने से हमारी फसल काश्त नहीं हो पायेगी। ग्राम भीमडावास के खाता स. 98-380,281-240,100-85,279-236 में आने जाने हेतु कदीमी रास्ता प्रतिवादीगण स. 1 की आराजी ख..न. 2769/1290 की मेड से 30 फीट का रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.21 13:11:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया ।

प्रकरण में तहसीलदार केकडी से रिपोर्ट प्राप्त की गई । तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम भीमडावास तह.केकडी जिला अजमेंर के ख.न. 2769/1290 रकबा 0.16 है. किस्म गै.मु. रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता पर बाड लगाकर तार से रामचन्द्र पुत्र रामकुवार कौम जाट ने कब्जा कर रखा है। खसरा नम्बर 1295 रकबा 0.44 है. कमला पुत्री श्रीकिशन वगै. जाति महाजन सा.देह खातेदार दर्ज है। तथा ख.न. 1294 रकबा 0.42 है. ओमप्रकाश पुत्र श्री किशन जाति ब्राम्हण हि. 1/2 जगदीशप पुत्र प्रहलाद हि. 1/2 ब्राम्हण खातेदार दर्ज हैं । ख.न. 103 रकबा 17.57 है किस्म बारानी 3 बीसलपुर परियोजनार्थ आरक्षित है। जिसके लगवा 102/2366 चरागाह भूमि में से गै.मु. रास्ता दर्ज है जो मुख्य संडक मार्ग से जुडा है। लम्बाई 5 मीटर व चौडाई 8 व 9 मीटर (8.5गुणा 5 मी. बराबर 42.5 व.मी.) ख.न. 2769/1290 रकबा 0.1600 व.मी. में से 42.5 व.मी. किस्म गै.मु. रास्ता दिया जाना उचित है। डी.एल.सी. दर से दुगनी राशि 24गुणा 42.5 गुणा 2 बराबर 2045रूपये है।डी.एल. सी. दर 240570/- प्रति है. है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया । अप्रार्थी स.1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहें। पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकडी उपस्थित । उन्हे सुना गया । पेरोकार सरकार ने तहसीलदार केकडी की जांच रिपोर्ट को दोहराया । ग्राम भीमडावास तह. केकडी जिला अजमेंर के ख.न. 2769/1290 रकबा 0.16 है. किस्म गै.मु. रास्ता राजस्व रिकॉर्ड लम्बाई 5 मीटर व चौडाई 8 व 9 मीटर (8.5गुणा 5 मी. बराबर 42.5 व.मी.) दिया जावें। डी. एल.सी. दर से दुगनी राशि 24गुणा 42.5 गुणा 2 बराबर 2045 रूपये है। डी.एल.सी. दर 240570/- प्रति है. है। तहसीलदार केकडी प्रार्थी से भुगतान की नियमानुसार राशि वसूल कर प्रतिवादी को दी जावें एंव राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद की कार्यवाही करें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
एवं शिविर प्रभारी केकड़ी,

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.21 13:11:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner